

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 नवम्बर, 2021

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

हम देख रहे हैं कि कोरोना की पहली और उसके बाद दूसरी लहर के कारण रोजगार पर खराब असर पड़ा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी की दर 26 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय दर से तीन गुना अधिक है।

इसकी एक वजह कोरोना के कारण बाजारों का बंद रहना है। दूसरे आमजन की आय घटने से बाजार में मांग पर भी विपरीत असर पड़ा है। इससे कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हो गए। यह ही नहीं बड़े उद्यमों पर भी इसका गहरा प्रभाव देखा गया। फलस्वरूप नौकरियों के साथ मजदूरों को रोजगार मिलना बंद हो गया।

यह हालात राजस्थान में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा रहे हैं।

अभी भी देश की अर्थव्यवस्था में धन की कमी नहीं है। लेकिन यह उन कम आय वाले 120 करोड़ लोगों के पास नहीं है, जो अर्थव्यवस्था में धन को खर्च कर खपत को बढ़ा सकते हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है। केंद्र सरकार हों या राज्य सरकारें, वर्तमान में उपजी इन समस्याओं का समाधान द्वांचागत सुधारों से ही निकलेगा।

यह तभी संभव है जब सभी कामगार पर्याप्त आय व आवश्यकता के अनुरूप खपत और कुछ बचत सुनिश्चित करने में सक्षम हों। समझना यह है, अगर उपभोक्ताओं के पास यह सब नहीं होगा तो उद्यमों की अर्थव्यवस्था के लिए योगदान-कर्ता कौन होगा?

अब ऐसी पहल की जरूरत है, जिसमें उद्यम व समाज के साथ सरकार की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस साझेदारी में कामगार की आय में बढ़ोतरी होना आवश्यक है, ताकि वे खपत के लिए पर्याप्त आय कमा सकें।

कोरोना से मौत पर मिलेगा 50 हजार रुपए का मुआवजा



कोरोना (कोविड-19) से मृत्यु पर मृतक के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है। हलफनामों में कहा गया है कि मुआवजे का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कहा है कि यह अनुग्रह राशि महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक दी जाती रहेगी। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा, जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे या तैयारी की गतिविधियों से जुड़े थे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मृत्यु का कारण कोविड-19 से प्रमाणित करना जरूरी होगा। मुआवजा देने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।

जस्टिस एमआर शाह और एस बोपन्ना की बैंच ने कहा है कि 'कोई राज्य किसी पीड़ित परिवार को इस आधार पर मुआवजा देने से इंकार नहीं करेगा कि कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण-पत्र में मौत का कारण 'कोरोना' दर्ज नहीं है। मुआवजे के दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटारा जाएगा। कोरोना से मौत के मामलों में पीड़ित परिवारों को राज्य आपदा कोष से 50 हजार रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। यह केंद्र व राज्य की राहत व कल्याण राशि से अलग होगी। कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत घरों में हुई है, उनके परिजन भी मुआवजे के हकदार होंगे।

उपचार में लापरवाही: अस्पताल को देने होंगे पांच लाख रुपए

महावीर नगर निवासी धीरेंद्र सिंह धाकड़ व उनकी पत्नी नवीन नागर ने कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित केयर ऑफ वाष्ण्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉ. कमल वाष्ण्य व जयपुर के जवाहर नगर नेहरू मार्ग स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, कोटा में परिवाद दायर किया।

उन्होंने दाखिल परिवाद में बताया कि उनकी पुत्री तनाशा की तबियत खराब होने पर डॉ. कमल वाष्ण्य को 22 जून 2016 को दिखाया तो सलाह दी गई कि जयपुर स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जाकर डॉ. सुनील कौशल को दिखाकर एंजियोग्राफी कराओ। डॉ. कमल वाष्ण्य की इस सलाह पर 28 जून को फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में पुत्री तनाशा को भर्ती करा दिया गया। वहां समस्त जांच करने के बाद 29 जून को एंजियोग्राफी करवाई, जिसके 2 घंटे बाद बुखार आ गया और 12 घंटे बाद ही तनाशा की धड़कन बंद हो गई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने माना कि उपचार में लापरवाही बरतने के कारण बालिका की मौत हुई। आयोग ने केयर ऑफ वाष्ण्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉ. कमल वाष्ण्य तथा जयपुर स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल को आदेश दिया कि परिवादी धीरेंद्र सिंह धाकड़ व उनकी पत्नी नवीन नागर को बतौर चिकित्सकीय खर्चा व मानसिक संताप के रूप में 9 प्रतिशत ब्याज सहित पांच लाख रुपए अदा करें।

ग्रीन एक्शन वीक कार्यशाला आयोजित

शेयरिंग कम्युनिटी की भावना से समाज को करें जागरूक

हमें प्लास्टिक कचरे और ई-वेस्ट का निस्तारण घरेलू स्तर पर करना होगा, जिससे कचरे के ढेर से निजात मिल सके। क्योंकि यह कचरा प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषित करता है और साथ ही हमारे स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। किचन गार्डनिंग, घर के कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाना, ई-वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण करना, कबाड़ से जुगाड़ बनाना और अपने ज्ञान को एक दूसरे से साझा करना आदि ऐसी छोटी-छोटी गतिविधियां हैं, जिनके माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

'कट्स' मानव विकास केंद्र एवं अपना संस्थान, भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में सारंभ योग केंद्र, कांचीपुरम, भीलवाड़ा में आयोजित 'ग्रीन एक्शन वीक' कार्यशाला में विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के राजदीप पारीक ने कहा कि हमें सतत विकास के मद्देनजर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए हमारे समाज में साझा समुदाय की परंपराओं को बढ़ाना होगा। उन्होंने संभागियों को किचन गार्डन लगाने और उसमें ऑर्गेनिक सब्जियां एवं फल आदि उगाने के लिए



सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन के सहयोग से वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है। 'कट्स' द्वारा इस अभियान को प्रदेश के दस जिलों समेत 12 राज्यों में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

इस अभियान के तहत समुदाय के साथ सामूहिक साझेदारी एवं सहयोग की भावना को बढ़ाया जा रहा है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की साझेदारी के साथ-साथ सतत उपभोग को भी बढ़ावा देने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यशाला में सभी संभागियों को जूट का थैला और परिजात का पौधा वितरित किया गया और उसे घर में या घर के आसपास लगाने और पालने की जिम्मेदारी दी गई।

सहजन फली से किसानों के वारे-ब्याटे

सहजन फली (ड्रम स्टिक) तमिलनाडु के किसानों पर अमृत वर्षा कर सकती है। यहां से अगले पांच सालों में करीब 40 हजार करोड़ के निर्यात का अनुमान है। सरकार इस लक्ष्य के लिए सात जिलों को निर्यात जोन में चिन्हित कर चुकी है। विश्व में सहजन फली उत्पादन में भारत अग्रणी है। अमरीका में इसे सुपरफूड का दर्जा प्राप्त है। देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी खेती हो रही है। भारत में किसान इसकी विश्वभर की मांग से बेखबर हैं।

सहजन फली से 30 से भी ज्यादा प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण होता है। इसका उत्पादन किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। फसल की अनुरक्षण लागत नहीं के बराबर है। एंटी ऑक्सीडेंट गुण के साथ यह शरीर में रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। औषधीय गुणों की वजह से इसकी विश्व बाजार में काफी मांग है।

प्रदेश में जीवन रक्षक योजना प्रारंभ

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित करने के लिए वित्त विभाग की ओर से प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। यह योजना जीवन रक्षक योजना के नाम से जानी जाएगी।

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा विभाग के माध्यम से होगा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जल्द अस्पताल तक पहुंचाने से उसकी जान बचाई जा सकती है। सरकारी एवं निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे।

नई किस्मों की फसलों से बढ़ेगी आय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को विशेष लक्षणां वाली फसलों की 35 किस्मों का तोहफा दिया है। इन फसलों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। इन किस्मों की मदद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी।

किसान गांव के ग्राम सेवकों के जरिए फसलों की उन्नत किस्मों के बीज ले सकेंगे। इनमें धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, सरसों, अरहर, चना, बाजरा, किनोवा और कुटु आदि की फसल के लिए कई वैरायटी हैं, जो उच्च पोषण से भरपूर और रोगरोधी हैं।

पानी के नमूनों में पाया 'अशुद्ध' पेयजल

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश में नलों से सप्लाई हो रहे पेयजल के 37 हजार 283 नमूनों की जांच की है। इसमें से 11 हजार 61 नमूनों में अशुद्ध पेयजल मिला है। यह नमूने 54 प्रयोगशालाओं में जांच किए गए हैं। अशुद्ध सैंपल होने पर 174 मामलों में कार्रवाई की गई। ताकि नलों के जरिए घरों तक स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल मिल सके।

इसके लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर टेस्टिंग किट भी दिए गए हैं। इसके बावजूद जुटाए गए मामलों में पेयजल में रसायन एवं मिनरल जैसे ऑर्गेनिक, फ्लोराइड, आयरन व यूरेनियम सहित अन्य अशुद्धियां मिली है। पानी जांच में खरा नहीं उतरने पर इसकी अधिकारियों को ऑनलाइन जानकारी दी गई। इसके बाद वहां पर शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया जा रहा है।

लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल

अब देश की 2.51 लाख पंचायतें और 3258 शहरी निकायों के सदन भी संसद और विधानसभा की तर्ज पर चलेंगे। लोकसभा में इसके लिए तैयारी की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कार्यपालिका को ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का यह एक सशक्त नवाचार होगा। हमारा उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर निकायों की कार्यप्रणाली को व्यवहारिक बनाना है।

इससे जनप्रतिनिधियों को भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास होगा। ग्राम पंचायत की बैठकें नियमित होंगी। जिसमें सभी विभागों के कार्मिक मौजूद रहेंगे। अभी कई माह में बैठकें होती हैं, उसमें भी व्यापक चर्चा नहीं हो पाती तथा गांव की समस्याओं का तुरंत निपटारा नहीं होता।

अब अस्पतालों में मिलेगी कई सुविधाएं

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निजी सहभागिता के जरिए एवं स्पॉक मॉडल के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला स्तर तक के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए कई तरह की जांचों का दायरा बढ़ेगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।

निःशुल्क दवा योजना में भी कैंसर, र्वांस रोग, नेत्र रोग सहित 16 तरह की दवाइयां बढ़ाई जाएंगी। प्रत्येक जिले में एक-एक मदर लैब भी स्थापित होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का फोकस शुरू से ही सभी वर्गों को उच्च स्तरीय व निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने पर रहा है, जिसे सतत प्रक्रिया से आगे बढ़ाया जा रहा है।

सिखा रहे हैं गोबर का पेंट बनाना

खादी ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान ना सिर्फ अपने प्रदेश में बल्कि अब पूरे देश को गोबर से बनाए वैदिक पेंट का प्रशिक्षण दे रहा है। अब पूरे देश में इसकी 18 यूनिट लगने जा रही है। इसके अलावा जयपुर और नीमराना निजी संस्थान को तकनीकी हस्तांतरण के तहत दो यूनिट लगाई जा रही है।

गोबर का वैदिक पेंट इस कदर पसंद किया जा रहा है कि महज इतने कम समय में 15 लाख लीटर से भी ज्यादा इसकी बिक्री हो चुकी है। हानिकारक रहित रसायनों व गाय के गोबर से बने इस पेंट से घर-भवनों की पुताई के अलावा सभी तरीके के मेटल और लकड़ी के फर्नीचर पर रंग किया जा सकता है।



कोरोना सहायता योजना से मिली मदद

राज्य में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत चिन्हित में से 97 फीसदी कोरोना मृतकों के परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाई जा चुकी है। शेष का सर्वे चल रहा है। प्रदेश में 10064 पीड़ितों को 57 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इनमें 5699 विधवा महिलाएं, उनके 4220 बच्चे और 145 अनाथ बच्चे शामिल हैं, जिनके माता-पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है।

पीड़ित परिवारों को घर बैठे यह सहायता राशि पहुंचाई गई है। अनाथ बच्चों को तत्काल एक लाख रुपए दिए गए हैं। उन्हें 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तब तक 2500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। राजकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। विधवाओं के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही स्कूल ड्रेस, किताबों के लिए 2000 रुपए प्रत्येक बच्चे को दिए जाएंगे।

सामाजिक योजनाओं में नहीं होगा घपला

प्रदेश में अब सामाजिक योजनाओं में घपले का खेल खत्म होगा। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आइट्टी का रोडमैप तैयार किया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव सामने आएगा। सब कुछ अब ऑनलाइन होगा। विभिन्न योजनाओं के आवेदन और लाभ एक क्लिक पर मिल सकेंगे।

योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जनाधार से आवेदन फार्मों को लिंक किया जाएगा। विधवा पेंशन, पालनहार योजना, छात्रों को छात्रवृत्ति, सामाजिक संस्थाओं को अनुदान, अजा-जजा अत्याचार निवारण जैसे कई काम अब तुरंत हो सकेंगे।